आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–67 / 2023

29.04.2024

अभिलेख उपस्थापित।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–19.04.2024 को गोड्डा परिसदन भवन में निर्धारित की गई थी लेकिन वैधानिक कारणों से सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदन भेज कर इस आशय की जानकारी दी गई कि शिकायतकर्ता को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से चावल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है एवं शिकायतकर्ता के हरा राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

दूरभाष पर शिकायतकर्ता से संपर्क करने पर शिकायतकर्ता ने माना कि पणन पदाधिकारी द्वारा 25 कि0ग्रा0 अनाज उपलब्ध कराया गया है।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता का जब तक हरा राशन कार्ड नहीं बन जाता है, तब तक नियमित तौर उन्हें पर आकस्मिक खाद्यान्न कोष से अनाज उपलब्ध कराया जाता रहे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस बात का भी प्रयास करेंगे कि शिकायतकर्ता का हरा राशन कार्ड जल्द से जल्द से बन जाए। शिकायतकर्ता को खाद्यान्न का संकट होने पर, इसकी जिम्मेवारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी की होगी। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–11.06.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.06.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyauf\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx177